भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. *706 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है

जहाजों के लिए सुरक्षा विनियम

706. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा भारतीय जलमार्गों पर चलने वाले जहाजों के लिए सुरक्षा विनियमों को अद्यतन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) मंत्रालय द्वारा सघन नौवहन मार्गों पर सुरक्षा में सुधार के लिए आधुनिक नौवहन सहायता प्रणालियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) आंतरिक जलमार्गों पर चलने वाले यात्री जहाजों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए मालवाहक जहाजों के लिए कड़े सुरक्षा मानकों को लागू करने की क्या योजना है; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा भारतीय जलमार्गों में जहाजों की सुरक्षा और नौवहन के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की निम्नलिखित धारा और उसके तहत बनाए गए नियमों के माध्यम से सुरक्षा प्रबंधन, जोखिम को कम करने और प्रतिक्रिया संबंधी तैयारियों के लिए एक संरचित दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए एक मजबूत सुरक्षा ढांचा विकसित किया गया है:

- अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021, अध्याय VIII नौचालन सुरक्षा और संकेत
- अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022
- अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन, संचार और संकेत) नियम, 2022

- अंतर्देशीय जलयान (अग्निशमन उपकरण) नियम, 2022
- अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम, 2022
- अंतर्देशीय जलयान (चालक दल और आवास) नियम, 2022
- अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 2022

उपरोक्त के अलावा, आईडब्ल्यूएआई ने निम्नलिखित विनियमन बनाए और अधिसूचित किए गए: -

- राष्ट्रीय जलमार्ग, नौवहन और नौवहन सुरक्षा विनियमन, 2002
- राष्ट्रीय जलमार्गों पर टकराव की रोकथाम विनियमन, 2002

(ख) और (ग): अंतर्देशीय जलयान (कार्गो और यात्री) की सुरक्षा में सुधार के लिए आधुनिक नौचालान सहायता प्रणालियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम हैं-

(i) अंतर्देशीय जलमार्गों पर सुरक्षा, संरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन, संचार और संकेत) नियम 2022 तैयार और अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य विशेष रूप से घने शिपिंग मार्गों पर यातायात की बढ़ती मात्रा का प्रबंधन करने के लिए आधुनिक नौचालन सहायताओं, संचार प्रणालियों और सिग्नलिंग प्रोटोकॉल को एकीकृत करते हुए नौचालन सुरक्षा में सुधार करना है।

(ii) राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली (एनआरटीएंडएनएस) तैयार की गई है ताकि अंतर्देशीय जलयानों की निर्बाध और निरंतर आवाजाही सुनिश्चित की जा सके और नौचालन के दौरान इसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

(iii) निर्माण मानकों को मानकीकृत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन और निर्माण) नियम 2024 अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि अंतर्देशीय जलमार्गों पर चलने वाले सभी जलयानों का निर्माण, जलयान सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाए और वे सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल हों।

(घ): बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कार्गो पोतों के लिए सख्त सुरक्षा मानकों को लागू करने हेतु, राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जलयान अधिनियम के तहत पंजीकृत जलयानों की आवाजाही के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और यह आईडब्ल्यूएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ङ): आईडब्ल्यूएआई ने पहले ही पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौचालन संस्थान (एनआईएनआई) और गुवाहाटी में समुद्री कौशल विकास केंद्र (एमएसडीसी) की स्थापना की है ताकि भावी और मौजूदा अंतर्देशीय जलयान चालक दल, आईडब्ल्यूटी अधिकारी जैसे कि सर्वेक्षक, नामोद्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। आईडब्ल्यूटी क्षेत्र में, प्रशिक्षित कर्मियों की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए, आईडब्ल्यूएआई ने विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नौ (9) क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान की है।

*****